न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 12/24 दायरा दिनांक 28.08.2024

1. रामचरण पुत्र नन्दलाल जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
2. मनोज पुत्र मथुरा जाति तेली निवासी शिवपुरा कोटा राज0
3. ललित पुत्र दयाचन्द जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4. कमल पुत्र दयाचन्द जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
5. विमल पुत्र दयाचन्द जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
6. अनिलकुमार पुत्र दयाचन्द जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
7. सन्नूबाई पुत्री दयाचन्द जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
8. ममता पुत्री दयाचन्द जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
9. सुशीला पत्नि स्व. दयाचन्द जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
10. मनोज पुत्र फुन्दीलाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
11. सीमा पत्नि चन्द्रसेखर जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
12. चन्द्रशेखर पुत्र चम्पा जाति तेली निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

– अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत बेंटा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बेंटा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
2. सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज0

– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत देवरी नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 05.02.2012 ग्राम किराडपहाडी पटवार हल्का बेंटा तहसील शाहाबाद बारां राज0

निर्णय–दिनांक 24.03.2025

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से–श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं – यह कि ग्राम किराडपहाडी तहसील शाहावाद के खाता संख्या 129 की आराजी ख0नं0 88 रकवा 10.01 बीघा, ख0नं0 99 रकवा 13.00 बीघा, ख0नं0 189 रकवा 2.16 बीघा व ख0नं0 418/435 रकवा 1.06 बीघा कुल किता 4 कुल रकवा 27.03 बीघा स्थित है जो कि रामचरण, चम्पा, मथुरा व दयाचन्द पुत्रगण नन्दलाल जाति तेली निवासी कि[illegible] के खाते दर्ज रही है इनमें से खातेदार दयाचन्द की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

सम्माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट कम 3 ता 9 के पक्ष में तस्दीक किया गया है इसमें अपीलान्ट कम 7 का नाम सन्नूबाई के स्थान पर अनीता के रूप में गलत रूप से नाम लिख दिया गया जबकि अपीलान्ट कम 7 का सही नाम सन्नूबाई ही है तथा अपीलान्ट कम 7 के आधारकार्ड राशनकार्ड भामाशाहकार्ड पैनकार्ड जनआधारकार्ड मतदाता परिचयपत्र एवं बैंक खाता में सभी जगह सन्नूबाई ही नाम दर्ज है लेकिन प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम गलत रूप से अनीता लिख दिये जाने से अपीलान्ट कम 7 को भारी परेशानी हो रही है। यह कि उक्त नामान्तरकरण अपीलान्टस को कोई सूचना दिये बिना खोला जाकर अपीलान्टस कम 7 का गलत नाम लिखकर तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। अपीलान्टस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30/7/24 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। यह कि अपील की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि अपील उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अन्य कारण वक्त वहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर अति विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर ग्राम किराडपहाडी के नामान्तरकरण संख्या 362 पर पारित आदेश अपीलान्ट कम 7 के नाम की हद तक निरस्त फरमाया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण में दर्ज आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट कम 7 का सही नाम सन्नूबाई से खोला जाकर तस्दीक किये जाने बावत आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। तहसीलदार शाहबाद से जांच रिपोर्ट मंगाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्टस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस ने मुख्य रूप से नामान्तरकरण संख्या 362 ग्राम किराडपहाडी को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट कम 7 का नाम सन्नूबाई के स्थान पर अनीता गलत लिख दिया है। शेष नामान्तरकरण के बावत कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 362 ग्राम किराडपहाडी दिनांक 05.02.2012 को खातेदार दयाचन्द की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृत खातेदार दयाचन्द के वारिसान की भलिभांति जांच परख कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24.03.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:37 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner